



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर एनडीपीएस एक्ट में अभियुक्त को 09 माह का कारावास व ₹5,000 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कुरारा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 247/2019 धारा-8/22 एनडीपीएस एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एफटीसी प्रथम/गैंगस्टर कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त राजाभइया उर्फ ढिम्मा पुत्र स्व0 रामऔतार निवासी ग्राम बिलौटा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर को 09 माह का कारावास व ₹5,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी श्री प्रवीण सिंह
भदौरिया



विवेचक-
उ0नि0 अब्दुल
रहमान



पैरोकार- थाना कुरारा
का0 रजनीश कुमार